

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी

बीआईईटी-135 / स्था०-का०आ० / २०२०-७३९

दिनांक: १८ मार्च, २०२०

—:: कार्यालय-ज्ञाप ::—

संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्रांक ए०के०टी०य००/कुस०का०/स्था०/२०२०/५१४३ दिनांक १८ मार्च, २०२० में सन्दर्भित मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक- ५८१/पॉच-५-२०२० दिनांक १७.०३.२०२० के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

८/८/८

(प्रो० वी०के० त्यगी)
निदेशक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१. समस्त अधिष्ठाता/समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य अभिरक्षक/अभिरक्षक/प्रभारी को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
२. कुलसचिव (का०)
३. चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
४. वित्त एवं लेखाधिकारी।
५. संस्थान/विभाग/समस्त छात्रावासो के सूचना पट्ट।
६. सम्बन्धित पत्रावली।

/

(प्रो० वी०के० त्यगी)
निदेशक



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०य०/कुस०का०/स्था०/२०२०/ ५१५३

दिनांक: १८ मार्च, २०२०

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक ५८१/पै०च-५-२०२० दिनांक १७.०३.२०२० द्वारा कोविड-१९ बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग को अपनाते हुए निर्देश दिये गये हैं। तदक्रम में शैक्षणिक संस्थान से संबंधित निम्नलिखित निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

- १ शैक्षणिक संस्थान दिनांक ०२ अप्रैल २०२० तक बन्द रहेंगे।
- २ छात्रों को घर में ही रहने का परामर्श दिया जाए एवं ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये।
- ३ उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक ०२ अप्रैल २०२० तक स्थगित रहेंगी।
- ४ दिनांक ०२ अप्रैल २०२० तक बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति नहीं ली जायेगी। इसके लिए पंजिकां का प्रयोग किया जाए।
- ५ कोरोनाटाइप/आईसोलेशन में रखे जाने वाले कार्मिकों को नियोजकों के द्वारा सवेत अवकाश दिया जाएगा।
- ६ जहाँ तक सम्भव हो बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायें। जिन बैठाकों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रतिभाग करना हो उन्हे सीमित किया जाय अथवा पुर्णिर्धारित किया जाय।
- ७ स्थानीय प्रशासन, खेल अयोजनाँ तथा प्रतियोगिताओं जिनमें बड़ी भीड़ की सम्भावना हो, के आयोजकों से संवाद स्थापित कर उन्हे ऐसे आयोजनों को स्थगित करने की सलाह दें।
- ८ लागों के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाय। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीके को बचा जाय।
- ९ जन सामान्य को निरन्तर इस सम्बन्ध में सूचना दी जाय।

भवदीय

 (नन्द लाल सिंह)
 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०य०, लखनऊ।
३. परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०य०, लखनऊ।
४. उप कुलसचिव, ए०के०टी०य०, लखनऊ।

5. निदेशक, आई०इ०टी० लखनऊ/अधिष्ठाता, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, लखनऊ को इस आशय से प्रेरित की संस्थान में आन्तरिक व्यवस्था हेतु अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ।
7. निदेशक, य०पी०आई०डी०, नोएडा।
8. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०य००, लखनऊ।
9. मीडिया प्रभारी, ए०के०टी०य००, लखनऊ।
10. नोटिस बोर्ड/वेबसाइट



(नन्द लाल सिंह)

कुलसचिव

acc ✓

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन,
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
3. समस्त जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग—5

लखनऊ दिनांक : १७ मार्च, 2020

विषय—कोविड—19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर कार्माशियुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इंटरवेंशन है जो संकमित लोगों एवं गैर संकमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (Morbidity) एवं इससे होने वाली मृत्यु दर (Mortality) को कम किया जा सकता है।

2— प्रश्नगत संदर्भ में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड—19 बीमारी की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के उपाय को अपनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें—

1. चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, स्पूजियम, पर्फर्टन रथल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बन्द रहेंगे।
2. छात्रों को घर में ही रहने का परामर्श दिया जाय एवं ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये।
3. उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेंगी।
4. तहसील दिवस व समाधान दिवस का आयोजन दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगा।
5. कोरोना वायरस के मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था का समरत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

DR(R)

B
Reg
17/3/2020

A.L.C.S.T
P.I. P.M.

6. दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बायोमेट्रिक मशीन से उपरिथति नहीं ली जाएगी। इसके लिए पंजिका का प्रयोग किया जाए।
7. कोरेनटाइन/आईसोलेशन में रखे जाने वाले कार्मिकों को नियोजकों के द्वारा सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
8. निजी क्षेत्र के संरथानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाय कि जहाँ तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाय।
9. जहाँ तक सम्भव हो बैठकें वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जायें। जिन बैठकों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रतिभाग करना हो उन्हें सीमित किया जाय अथवा पुर्णनिर्धारित किया जाय।
10. रेस्टोरेन्टों द्वारा हैण्ड वाशिंग प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाय तथा जिन स्थानों को बार-बार छुआ जाता है, उनकी समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय। मेजों के बीच की भौतिक दूरी न्यूनतम एक मीटर रखी जाय। जहाँ पर सम्भव हो, खुले में बैठने की व्यवस्था की जाय तथा पर्याप्त दूरी रखी जाय।
11. पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में आमत्रितों को सीमित किया जाय तथा अनावश्यक सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलनों को स्थगित किया जाय।
12. स्थानीय प्रशासन, खेल आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं जिनमें बड़ी भीड़ की सम्भावना हो, के आयोजकों से संवाद रखापित कर उन्हें ऐसे आयोजनों को स्थगित करने की सलाह दे।
13. जिलाधिकारी, धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक व धर्मगुरुओं से संवाद रखापित कर उन्हें जागरूक करें। भीड़ को नियंत्रित करने की सलाह दें एवं धर्मगुरुओं से अपील करें कि कम से कम लोग आयें और भीड़ को इकट्ठा न करें। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि मेले आदि में आने वाले लोगों को जागरूक करें और संकरण से बचने हेतु पूरी सावधानी बरती जाए। अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रहे। ऐसे किसी भी आयोजन में हाथ धोने हेतु साबुन, पानी/हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
14. व्यापारिक स्थलों, सब्जी मण्डी, आनाज मण्डी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, डाकखानों आदि जहाँ आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं, में संचालन अवधि को नियंत्रित करने, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए “क्या करें क्या न करें” के प्रदर्शन हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य हित साधकों के साथ बैठक करें।
15. सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाय। बाजारों में पीक आवर्स को कम करने के उपाय किये जायें।
16. अनावश्यक यात्रा से बचा जाय। बस, ट्रेन तथा वायुयान जैसे सार्वजनिक परिवहन में लोगों की पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाय तथा इन स्थानों पर सतहों का उचित वि-संकरण सुनिश्चित किया जाय।

17. अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाय और परिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने को नियंत्रित किया जाय।
18. लोगों के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाय। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीके से बचा जाय।
19. ऑनलाइन आर्डर सेवा में कार्यरत डिलेवरी करने वाले कर्मी(मेन/वूमेन)हेतु विशेष रक्षात्मक उपाय अपनाये जाय।
20. जन सामान्य को निरन्तर इस सम्बन्ध में सूचना दी जाय।

कृपया उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मध्यस्थीय,
17.3.2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-581(1) / पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, शासन,
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन,
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं रक्षास्थ्य सेवायें, उ0प्र0,
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 को प्रचार-प्रसार हेतु,
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0,
6. रामरत मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,
7. समर्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
17.3.2020
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।